

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम(अलवर)

दावा संख्या:- 83/18

रामपाल बनाम बाबूलाल

02.05.2018

प्रार्थी मय वकील उपस्थित। दावा दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को जर्ने रजिस्टर्ड तलबाने से तलब किया जावे। आयन्दा पत्रावली दिनांक 06.06.2018 को पेश हो।

UP
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम

10.5.18 पत्रावली पत्रावली वादी के पत्र पर पेशी में ली गई। वादी ने पत्रावली प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो गया है, वाद में कोई कार्यवाही नहीं चाहता। किन्तु किसी कार्यवाही के वाद हो कि रजिस्ट्रार का निवेदन किया। वादी को सुना। पत्रावली का अवलोकन किया, वादी की पहचान श्री योगेश कुमार एडो ने की है। फलतः वाद वादी किन्तु किसी कार्यवाही के अभाव में किन्तु जाता है। तदनुसार निर्णय लेकर वाद तदनुसार अथवा अन्तिम अन्तिम कक्षा में आने।

रामपाल
वृत्त
(पत्रावली)
न

UP
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)